

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून

पत्रांक—

प्र०रा०वे०-2 / 3844 / 2026-27 दिनांक 14 अगस्त 2026

विषय :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 (1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 1519-20 / स्थानान्तरण / 2026 दिनांक 10 जुलाई 2026 के द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 (1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किए जाने हेतु विकासखण्डों से आवेदन पत्रों का विवरण सूची अनुसार तैयार कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि।

(पूनम चौहान)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी